Received: Nov '23
Revised:
Accepted: Dec '23

© 2024 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

WOMEN'S EMPOWERMENT: REAL SITUATION AND POSSIBILITIES
महिला सशक्तिकरण : वास्तविक स्थिति और सम्भावनायें

Dr. Abhilasha Abusaria
Assistant Professor, Department of Political Science, Government Girls College, Jhunjhunu

ABSTRACT

At present, not only India but the whole world is making efforts for the upliftment and development of women. Gender equality and empowerment of women were declared development goals by the United Nations at its Millennium Summit in 2000. However, in a country like India, these goals seem far from being realized. Because when it comes to gender equality in India, women are often deprived of their fundamental rights, far from respect. The paper explores fundamental questions related to women's rights and the patriarchal system in India. This article attempts to tackle some of the challenges faced by women in India, such as dowry, female foeticide, denial of inheritance rights, the sale and trafficking of girls, etc. The paper aims to develop strategies to empower women equally as men.

वर्तमान मे ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में अपने सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में श्लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरणश को विकास लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि भारत जैसे देश में ये लक्ष्य साकार होने से कोसों दूर नजर आते हैं। क्योंकि भारत में लैंगिक समानता की बात की जाये तो यहां महिलाएं अक्सर सम्मान की बात तो दूर, अपने मौलिक अधिकार से भी वंचित रहती हैं। उक्त शोध पत्र में भारत में महिलाओं के अधिकारों तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित मूलभूत प्रश्नों की पड़ताल करना है। यह लेख भारत में महिलाओं के सामने आने वाली दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, विरासत के अधिकारों से इनकार, लड़कियों की बिक्री और तस्करी आदि कुछ चुनौतियों से निपटने का प्रयास करता है। पेपर का उद्देश्य पुरुषों की तरह महिलाओं को भी समान रूप से सशक्त बनाने की रणनीतियां विकसित करना है।

Keywords: महिलाएँ, समस्याएँ, संभावनाएँ, अधिकार, सशक्तिकरण, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

19वीं सदी में महिलाएँ एक विशिष्ट रुचि समूह के रूप में उभरीं। मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी की बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांतियों के कारण। उस समय लिंग भेद बहुत अधिक था। जिसने महिलाओं को उनकी समानता की अवधारणा से बाहर रखा। इंसान के रूप में महिलाओं ने अपनी पहचान के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं की समाज में बहुपक्षीय निष्पादन भूमिका अर्थात अपने परिवार के लिए कमाने वाले के रूप में, देखभाल करने वाले के रूप में, एक माँ, पत्नी, बेटी और सेविका के रूप में रहती है। इस तथ्य के बावजूद भी महिलाओं का देश के विकास में पुरुषों के बराबर योगदान है। महिलाएं पुरुषों के समकक्ष हैं फिर भी वे कई तरह का अनुभव प्राप्त करती हैं जो उन्हें विकास करने से रोकता है। विभिन्न सीमाएँ उन पर लाद दी जाती है जो उन्हें अपनी बात कहने से रोकती हैं।

महिलाओं का हित और विकास की प्रक्रिया में हर स्तर पर उनकी भागीदारी समाज में मान्य नहीं थी । इसलिए दुनिया भर में सरकार को महिलाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस हुई। सहस्राब्दी विकास में एक प्रमुख विषय के रूप में महिलाएँ चिंता के मुख्य समूह के रूप में उभरी। यह एक सत्य है कि दुनिया महिला और पुरुष के एक साथ चलने से ही चल सकती है परंतु पितृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था होने के कारण दुनिया के अधिकांश परिवारों में महिलाओं को वह स्थान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कार्य करती है तथा परिवार को संभालने का कार्य भी करती हैं । बहुत सी परिस्थितियों में वह बाहर कामकाज करके पैसे कमा कर परिवार का पालन पोषण करती है। परंतु इन सब के बावजूद भी उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं।

महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार

- महिलाओं को दहेज के लिए मारा – पीटा जाता है।
- उनके सुंदर नहीं होने पर उन्हें ताने दिए जाते हैं।
- उनसे छेड़छाड़ की जाती है।
- उन्हें गालियां दी जाती हैं।
- महिलाओं की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है।
- उनकी बातों को अनसुना किया जाता है।
- उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका जाता है।
- उनके साथ जबरदस्ती की जाती है।
- विभिन्न प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है।
- विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगा दी जाती हैं।

बच्चियों की गुमशुदगी

महिलाओं की गुमशुदगीश मुहावरे का प्रयोग पहली बार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था जब उन्होंने दिखाया था कि कई विकासशील देशों में जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात संदिग्ध रूप से कम है। भारत के कई राज्यों में असंतुलित लिंगानुपात का मुख्य कारण यह है कि लड़कियाँ श्लापताश हो जाती हैं। भारत में गरीब परिवारों की लड़कियों को दलालों द्वारा विशेष रूप से उत्तरी भारत में पुरुषों को बेच दिया जाता है, जहाँ असंतुलित लिंगानुपात की समस्या बहुत स्पष्ट है। इनके अलावा महिलाओं के अपने वैवाहिक घरों से लापता होने के भी मामले हैं।

हिंसा का प्रभाव

शारीरिक, मानसिक एवं घरेलू हिंसा के प्रभाव स्वरूप महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती तथा अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाती। वह आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाती। वह घर की चार दिवारी तक ही सीमित रह जाती हैं।

स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन नहीं जी पाने के कारण अपने जीवन को अपने बच्चों में जीने का प्रयास करती है तथा अपने बच्चों को वह सब देने का प्रयास करती है जो उन्हें नहीं मिला। भय युक्त वातावरण के प्रभाव स्वरूप वे फोबिया एवं एंजायटी जैसे रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। वे निर्णय लेने की क्षमता को तो खो ही देती हैं। साथ ही अपने उचित अनुचित व्यवहारों को भी नहीं जान पाती। अत्यधिक दबाव एवं भय के वातावरण में रहने के कारण वे धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती हैं।

भारत के संविधान द्वारा महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण

भारत का संविधान महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है। संविधान निर्माता समाज में महिलाओं की अधीनस्थ एवं पिछड़ी स्थिति के बारे में भली–भांति परिचित थे। उन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत महिला कार्यकर्ताओं को महत्व अवकाश देने के निर्देश दिए गए।जबकि अनुच्छेद 51 ए में महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के लिए प्रथा का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नगरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। भारतीय संसद में अनुच्छेद 51– ए के उचित कार्य कार्यान्वन के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया है।भारतीय संसद ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें समान पारिश्रमिक क अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम, सती(विधवा के अधिकारों को जलाने) की रोकथाम और दहेज निरोधक अधिनियम आदि जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल है। इसके अलावा 73 में और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमित में महिलाओं के लिए पंचायत और नगरपालिका दोनों संस्थानों के साथ–साथ इन निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 33ः आरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा भारत में महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। एनसीडब्ल्यू ने उन्हें महिलाओं के अधिकार की हिंसा से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने सरकार पर बलात्कार के मामलों. घरेलू हिंसा आदि से निपटने के लिए सख्त कानून लागू करने और महिला अधिनियम के लिए अलग आपराधिक संहिता बनाने पर दबाव डाला।

भारत में महिला सशक्तिकरण की रणनीतियां

भारत में महिलाओं को मुख्य रूप से वंचित स्थिति में रखा गया है। क्योंकि वह अपने मौलिक नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में अक्सर उनसे अधिकांशतः उन पारंपरिक प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उन्हें और उन बच्चों दोनों के विकास के लिए हानिकारक है। हालांकि महिलाओं ने एक स्तर की वित्तीय और राजनीतिक सहायता और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता हासिल कर ली है। फिर भी वह समाज से लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए बुनियादी बदलाव में स्वयं को असहाय अनुभव करती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और महिलाओं के लिए अलग अपराध संहिता तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा बढ़ाने की पेशकश की। महिलाओं के लिए एक अलग आपराधिक संहिता बनाने का प्रस्ताव पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाने और सजा दर में तेजी लाने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव सरकार के बीच समर्थन जुटाने में असफल रहा और इसे स्थापित कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुख्य कारणों का आंकलन करने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य और समाज को पीड़ित उत्तरजीवियो को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़िता अपना दैनिक जीवन जारी रख सके। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या से निपटने के लिए सरकार, नागरिक, समाज और परिवार के बीच समन्वय और एकीकरण के नवीन स्तर का निर्माण किया जाना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक नीतियां शुरू करने में राज्य का केंद्रीय स्थान है।भारत में सुधार की पहल की गई, जब बहुत बहस के बाद 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को

विरासत में समान अधिकार दिया गया। राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस, चिकित्सा, स्वास्थ्य, देखभाल आदि जैसी औपचारिक ढांचे के साथ – साथ परिवार दोस्तों जैसे अनौपचारिक नेटवर्क दोनों के द्वारा महिलाओं को निरंतर व्यापक बिना शर्त वित्तीय एवं भावात्मक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

1. वैयक्तिक अध्ययन

5 बहनों में सबसे छोटी बेटी उम्र 30 साल है। परिवार वालों ने कभी लाड नहीं किया। 17 वर्ष की उम्र में शादी कर दी कि बोझ कम हो जाएगा। पिता द्वारा कोई संपत्ति नहीं दी गई और ना ही विवाह में अधिक धन खर्च किया। विवाह साधारण परिवार में किया गया जहां कभी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि दहेज बहुत कम दिया गया था। आगे पढ़ने के इजाजत भी नहीं दी। घर की सारी जिम्मेदारी और काम का बोझ लाद दिया गया। महिला का मानना है कि बिना नौकरी और धन के महिला का सम्मान नहीं होता।

2. वैयक्तिक अध्ययन

सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं तथा 5 साल से कार्यरत हैं। नौकरी के साथ–साथ घर का सारा काम भी करना पड़ता है। फिर भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। पैसे को कहां और कैसे खर्च करना है ये फैसले लेने का अधिकार नहीं है। घर से बाहर जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। महिला का मानना है कि जब माता पिता का घर मजबूत स्थिति मे नही होता तो महिलाओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3. वैयक्तिक अध्ययन

धनाढ्य परिवार की महिला जो स्वयं का बड़ा व्यवसाय चलती है। लाखो रुपये हर माह कमाने के बाद भी सभी फैसले पति से पूछ कर करने पड़ते हैं। घर का काम नहीं करना पड़ता परंतु सभी कामों का ध्यान रखने और बच्चों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभानी पडती है। सम्मानपूर्ण जीवन का अभाव महसूस होता है। महिला का मानना है कि साधारण घरों की महिलाओं का जीवन उनसे बहत्तर होता है।

उपरोक्त वैयक्तिक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महिलाएं किसी भी स्थिति में रहे या किसी भी प्रकार का जीवन जिये। परिवार में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। ना ही किसी प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पितृसत्तात्मक परिवार में रहने के कारण उन्हें पिता, पति या ससुर के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है तथा उनके आदेशों की पालना करनी पड़ती है। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश को कर्तव्य मानकर पूरा करना उनके लिए उनके लिए अति आवश्यक माना जाता है। भारतीय समाज में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है परंतु यह केवल मात्र एक किताबी विचार प्रतित होते हैं हैं। वास्तविक जीवन में उन्हें पति के बराबर महत्व कभी नहीं दिया जाता। मॉ भी पक्ष से अधिक लगाव तथा मोह रखती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार संक्षेप में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को भारत में तभी साकार किया जा सकता है, जब कन्या भ्रूण हत्या जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त किया जाएगा। दहेज हत्या, खाप पंचायतों द्वारा असम्मान व हत्या, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण को समाप्त किया जायेगा । तभी समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वास्तविक दृश्य बन सकते है।

संदर्भ

1. सेन अमर्त्य : मिसिंग वुमेन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, 304, 587–588 (1992)
2. सभरवाल, सगुन, के.जी. संध्या और शिरीन जे जेजीभोय : वैवाहिक हिंसा के निर्धारक, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 47, 41–45 (2013)
3. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000–उद्देश्य, राष्ट्रीय आयोग जनसंख्या, भारत सरकार (2000) (http://populationcommission-nic-in/npp&obj-htm)
4. किश्वर, मधु : जहां बेटियां अवांछित हैं, मानुषी, 86, 15–22 (1995)
5. झा पी., आर. कुमार, पी. वासा और एन. ढींगरा : भारत में जन्मे बच्चों का महिला लिंगानुपातरू 1.1 मिलियन घरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण, लैंसेट, 367, 211–18 (2006)
6. www.homeoffice.gov.uk
7. Bonjourplanetearth.blogspot.com.au (2014)
8. www.freiheit.org, ielrc.org (2014)